प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष,
2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़,
3. आयुक्त हिसार/अम्बाला मण्डल, हिसार/अम्बाला,
4. राज्य के सभी उपायुक्त; तथा
5. राज्य के सभी उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक)।

यादी क्रमांक 42/20/82–5 जी0 एस0–I
दिनांक, चण्डीगढ़, 19 अगस्त, 1982।

विषय : तृतीय श्रेणी के पदों को स्थानान्तरण आधार पर भरने हेतु क्या अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांच्छनीय है या कि नहीं, के संबध में स्थिति का स्पष्ट किया जाना।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. राज्य सरकार के यह प्रश्न विचाराधीन था कि श्रेणी–III के पदों पर स्थानान्तरण आधार पर नियुक्ति करने में क्या अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांच्छनीय है या कि नहीं। इस बिन्दु पर विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा अधीन सेवाएं प्रवरण मण्डल को सौंपे गये कार्यों के दृष्टिगत कानूनी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये विधि विभाग की मन्त्रणा भी प्राप्त की गई है। इस संबध में निम्नलिखित हिदायतों को ध्यान में रखा जाए :–

(क) श्रेणी–III के पद/सेवा से श्रेणी–III के ही किसी अन्य पद/सेवा में यदि कोई नियुक्ति एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरण आधार पर की जाए तो ऐसी नियुक्ति पर अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांच्छनीय नहीं है, बेशर्ते कि :–

(1) जिस विभाग में ऐसी नियुक्ति की जानी हो, उसके सेवा नियमों में उस पद को स्थानांतरण आधार पर भरने की व्यवस्था हो,

(2) स्थानांतरण आधार पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी की प्रारम्भिक नियुक्ति (Initial Appointment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल/ लोक सेवा आयोग, जैसा भी आवश्यक हो, के माध्यम से हुई हो।

(3) स्थानान्तरण आधार पर जिस पद को भरा जाना आवश्यक हो, उस पद को सभी विभागों को परिपत्र द्वारा सरकुलेट (circulate) किया गया हो,

(4) ऐसी सलैक्शन (selection) के लिए किसी भी कर्मचारी का सीधे ही आवेदन पत्र एंन्टरटेन (entertain) नहीं किया जाना चाहिये बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने वाली रिकमैन्डेशन्ज पर ही कार्यवाही की जानी चाहिये, तथा

(5) केवल उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाना चाहिये जोकि सम्बन्धित पद की निर्धारित योग्यताएं/अनुभव रखते हों।

(ख) स्थानान्तरण आधार पर, निम्न प्रकार से की जाने वाली नियुक्तियों पर एस0 एस0 एस0 बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना वांच्छनीय है :–

(1) यदि किसी कर्मचारी की प्रारम्भिक नियुक्ति (Initial appointment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण

(2) यदि कोई नियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर श्रेणी IV के पद/सेवा से श्रेणी–III के किसी पद/सेवा में की जाए।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण आधार पर यदि किसी ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति कर ली जाती है, जिसकी प्रारम्भिक नियुक्ति (initial appointment) अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल के माध्यम से न हुई हो, तो ऐसी नियुक्ति पर यदि सक्षम अधिकारी एस0 एस0 एस0 बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त भी कर लेता है, तो इसका यह तात्पर्य नहीं होगा कि उस कर्मचारी की प्रारम्भिक नियुक्ति नियमित हो गई है।

(4) कृपया उपरोक्त हिदायतों अनुसार कार्यवाही की जाए।

हस्ता/–
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

उपरोक्त की एक एक प्रति क्रमश:–

(1) वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, तथा

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

हस्ता/–
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

(1) वित्तायुक्त राजस्व एवं सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, तथा

(2) सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: क्रमांक 42/20/82–5 जी0 एस0–I दिनांक 19 अगस्त, 1982.